भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2024
जिसका उत्तर गुरुवार, 05 अगस्त, 2021 को दिया जाना है

देश में न्यायाधिकरण

2024. श्री इरण्ण कडाडि :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) आज की तारीख तक कितने न्यायाधिकरण काम कर रहे हैं ;
(ख) आज की तारीख तक विभिन्न न्यायाधिकरणों में न्यायाधिकरण-वार कुल कितने मामले लम्बित हैं ;
(ग) देश में विभिन्न न्यायाधिकरणों के विलय के संबंध में हुई प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है ;
(घ) क्या सरकार ने उन विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श किया है जिनके अधीन उक्त न्यायाधिकरण कार्य कर रहे हैं और इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार हैं ; और
(च) क्या ये न्यायाधिकरण अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहे हैं और यदि नहीं, तो उनके कामकाज की समीक्षा/सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) से (च) : अधिकरण सुधारों के पहले चरण के दौरान वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा अधिकरणों का विलय किया गया था । उसके पश्चात्, इस संबंध में आगे की प्रगति का कार्य राजस्व विभाग को सौंपा गया है । उसके बाद अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021 द्वारा तारीख 04.04.2021 को चलचित्र अधिनियम, 1952, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994, व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 और पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 का संशोधन करने के लिए और कतिपय अन्य अधिनियम जैसे चलचित्र अधिनियम 1952 के अधीन अपीलीय अधिकरण, आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन अग्रिम नियमों के लिए प्राधिकारी, हवाई पत्तन अपीलीय प्राधिकरण, बौद्धिक संपत्ति अपीलीय बोर्ड और पौध किस्म संरक्षण अपीलीय अधिकरण का लोप करने के लिए और भारत सरकार के विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष /चेयरमैन के लिए समान निबंधन और सेवा शर्तों का उपबंध करने के लिए प्रख्यापित किया गया है । अधिकरण सुधार विधेयक, 2021 को अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021 का

प्रतिस्थापन करने के लिए लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया, जिसे 3 अगस्त, 2021 को लोक सभा द्वारा पारित कर दिया गया ।

****